


**GWALIOR SAHKARI DUGDH SANGH.MYDT
GWALIOR (M.P)**

**E-TENDER
FOR
*Sugar Transportation (2nd Call)***

**GWALIOR SAHKARI DUGDH SANGH.MYDT
GOLE KA MANDIR, GWALIOR (M.P)
Phones: 09406900708, 731**

E-mail :- gwaliordairy@gmail.com

	<p>GWALIOR SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT GOLA KA MANDIR, GWALIOR 474005 AN ISO 9001 : 2000 Certified Organization E mail :gwaliordairy@gmail.com Phone 0751-2462003 Fax : 0751-2366981</p>
---	--

Ref No: 01/06/11/2018

Dated: 06/11/2018

NOTICE INVITING E-TENDER

Online tenders for following items are invited by Gwalior Sahakari Dugdh Sangha Maryadit, from reputed Manufacturers/Authorized suppliers/Channel Partners available on www.mpeproc.gov.in. Details are available in www.mpeproc.gov.in and on MPCDF's website www.mpcdf.gov.in :

Sr. No.	Brief Description	EMD. VALUE (Rs.)	TENDER FEE (inRs)
1	Sugar Transportation from Burhanpur/Raghogarh-Guna to Banmore-Distt.Morena (M) (II call)	10000/-	500/-(Non – Refundable)

- Last date & time for purchase of tender online : 29/11/2018 Time 1.30 pm
- Last date & time for online submission of tender : 29/11/2018 Time 3.00 pm
- Time & Date of opening of bids : 29/11/2018 Time 3.30
- Place of opening bids : Office of the Chief Executive Officer,
Gwalior Sahakari Dugdh Sangh Maryadit,

Gola Ka Mandir,Gwalior-474005

Corrigendum/amendment if any to this publication would appear only on the above mentioned websites and will not be published elsewhere. The tender form may be obtained from the <http://www.mpeproc.gov.in> by making online payment as applicable as online charges. Chief Executive Officer, Gwalior Sahakari Dugdh Sangh Maryadit, Gwalior reserves right to accept a tender in whole or in part or reject any or all the tenders, which in their opinion justify such actions, without further explanation to the bidders.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ANNEXURE-I

शक्कर परिवहन निविदा शर्त :

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर परिवहन कार्य निर्धारित शर्तों के अनुसार परिवहनकर्ता से कराने हेतु अधिकृत है।
2. निविदा प्रपत्र रु 500 /— का ऑन लाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा।
3. निविदाकर्ता को रु. 10000 /— का डिमांड ड्राफ्ट ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के पक्ष में अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। बिना अमानत राशि की दरें स्वीकार नहीं की जावेंगी।
4. परिवहनकर्ता द्वारा जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदाकर्ता की दर स्वीकृत होने पर प्रथम की अमानत राशि को छोड़ कर शेष निविदाकर्ता की अमानत राशि 90 दिवस में वापिस कर दी जावेगी।
6. परिवहनकर्ता को परिवहन की सभी शर्तें मान्य होगी।
7. परिवहन दर अनुमोदन के पश्चात तुरन्त प्रभावशील मानी जावेगी। महाप्रबंधक आवश्यकतानुसार शक्कर की मात्रा को घटाने या बढ़ाने हेतु पूर्णतः अधिकृत है।
8. परिवहनकर्ता को कारखाने से प्राप्त एक्साईज गेट पास एवं अन्य संबंधित कागजात अनलॉडिंग के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।
9. यह निविदा एक वर्ष की अवधि के लिये आमंत्रित की जा रही है। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक करके दो वर्ष के लिये कार्य अवधि ओर बढ़ाई जा सकेगी।
10. परिवहनकर्ता को परिवहन करने के पश्चात परिवहन का बिल भुगतान हेतु कार्यालय में माल प्राप्ति की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
11. आदेशित मात्रा परिवहन के दौरान 4 बराबर भागों के परिवहन उपरांत उक्त मात्रा के परिवहन व्यय का भुगतान किया जावेगा।
12. इनकम टैक्स व अन्य टैक्स की वसूली एवं सरकार द्वारा उस समय अन्य कोई टैक्स लगाने पर (सर्विस टैक्स छोड़कर) परिवहनकर्ता के देयक से कटौती की जावेगी।

13. परिवहनकर्ता द्वारा शक्कर की आवंटित पूर्ण मात्रा समयावधि में यदि परिवहन नहीं की जाती है तो संस्था द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अधिक लगने वाली राशि की वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
14. परिवहनकर्ता द्वारा दर अनुमोदन के पश्चात वाहन प्रभारी के निर्देशानुसार नहीं भेजे जाते हैं तो अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि जप्त की जावेगी तथा अन्य परिवहनकर्ता से कार्य कराया जावेगा।
15. परिवहनकर्ता को ट्रांजिट बीमा प्रभारी संयंत्र संचालन के पक्ष में करवाना होगा।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा टेक्स का भी भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।
17. डिटेंशन चार्जस का भुगतान किसी भी परिस्थिति में परिवहनकर्ता को नहीं किया जावेगा।
18. शक्कर परिवहन अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना संयंत्र के नियमानुसार की जावेगी।

क्रमांक	वाहन की क्षमता	औसत प्रति लीटर
01	20 मै.टन	04

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

19. निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को है।
20. दर अनुमोदन के पश्चात् रु. 500/- के नान ज्यूडीशियल स्टाम पर परिवहन के पूर्व अनुबंध सम्पादित करना होगा।
21. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण माध्यस्थम जो की 'अध्यक्ष' ग्वालियर सह. दुग्ध संघ मर्या. रहेगें के माध्यम से किया जायेगा तथा अध्यक्ष'' ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ.द्वारा पारित आदेश दोनो पक्षो पर बन्धनकारी रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ANNEXURE-II

अनुबंध

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर तथा जिसे इसके उपरांत "शक्कर परिवहन ठेकेदार" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, के मध्य मेसर्स नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर बुरहानपुर एवं कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नारायणपुरा (राघौगढ़) जिला-गुना से संयंत्र बानमोर जिला मुरैना तक शक्कर परिवहन हेतु किया जा रहा है।

1. ठेके की अवधि एक वर्ष तक के लिये होगी ।
2. सौजन्यवश प्रत्येक स्थान के लिये प्रतिदिन शक्कर परिवहन हेतु लगने वाली खाली वाहनों की मांग के विषय में सूचना ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा दी जा सकती है, परन्तु मूलतः संयंत्र की जरूरत अनुसार परिवहन हेतु लगने वाले वाहनों की मांग प्राप्त करना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा। ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में यदि अतिरिक्त वाहन द्वारा कार्य कराया जाता है तो ठेकेदार का यह दावा की उसे बिना सूचित किये अन्य वाहन द्वारा कार्य कराया गया है, मान्य नहीं होगा।
3. परिवहन कार्य के लिये मांग प्राप्ति/सूचित करने के दिन अथवा दूसरे दिन संयंत्र को वाहन उपलब्ध कराने के निर्धारित समय तक निश्चित रूप वाहन उपलब्ध कराना होगा। यदि उक्त समयावधि में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता एवं इस बाबत अन्य विकल्प द्वारा कार्य करवाया जाता है, तो इस बाबत अधिक भुगतान की गई राशि ठेकेदार के देयक से पुनः प्राप्त कर (रिकवर) की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सूचना पृथक से ठेकेदार को देने के लिये संयंत्र बाध्य नहीं होगा ।
4. साधारणतः संयंत्र में वाहन खाली करने का समय कार्य दिवस में प्रातः 9.00 से सायंकाल 5.00 बजे तक रहता है, परन्तु सायं 4.00 बजे के बाद खाली करने के लिये आये भरे हुये वाहन का खाली करना अथवा न खाली करना प्रबंध के अधिकार में रहेगा।
5. परिवहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा ।

6. परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु प्रति सप्ताह अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों में जिसमें क्रमांक दिनांक पता आदि उल्लेखित हो माल प्राप्ति की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
7. परिवहन ठेकेदार को उनके देयकों का भुगतान ग्वालियर स्थित कारखाने से रेखांकित धनादेश (चैक) द्वारा किया जावेगा ।
8. नियमानुसार आयकर/सर्विस टैक्स आदि का कटोत्रा भाड़ा देयकों से काटा जावेगा ।
9. परिवहन करते समय मार्ग में किसी प्रकार की टूट-फूट नुकसान, शक्कर में कमी आदि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इससे संबंधित राशि उसके परिवहन देयक एवं अमानत राशि से वसूल की जावेगी ।
10. लोडिंग अनलोडिंग व्यय परिवहन ठेकेदार को वहन करना होगा ।
11. परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण होना चाहिये । यदि वाहन ड्रायवर की असावधानी से संयंत्र की जान-माल, सम्पत्ति आदि की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।
12. परिवहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी व यदि इस बाबद कोई हानि होगी तो राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी ।
13. उपरोक्त शर्तों के अलावा प्रभारी द्वारा समय समय पर जो परिवहन संबंधी सूचनाये/आदेश दिये जावेगे, उनका पालन हेतु ठेकेदार स्वयं बाध्य होगा ।
14. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंध दर में कमी/वृद्धि की जावेगी । दर में कमी वृद्धि की गणना प्रभारी से गन्तव्य स्थान तक जाने की दूरी के आधार पर कमी/वृद्धि की दिनांक से की जावेगी ।
15. परिवहन ठेकेदार के सभी वाहन जिसमें मोलासेस परिवहन किया जाना है उन टैकरों में G.P.S. लगा होना अनिवार्य है G.P.S. का ID एवं पासवर्ड संयंत्र कार्यालय में दिया जाना

16. अनिवार्य है। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

17. अनुबंध की शर्तों में परिस्थितिवश परिवर्तन या शिथिल करने का अधिकार प्रबंध को होगा। इस अनुबंध पर आज दिनांक..... को उभय पक्षों में आपसी सहमति के आधार पर ग्वालियर कार्यालय में हस्ताक्षर किये हैं, निविदाकार का इकरार नामा दिनांक..... से तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा।

18. ठेके की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद को अधिनिर्णयार्थ अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को सौंपा जावेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो कि अन्तिम होगा।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

परिवहनकर्ता ठेकेदार

ग्वाह

(1) हस्ताक्षर

नाम _____
पिता _____
पता _____

(2) हस्ताक्षर

नाम _____
पिता _____
पता _____

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
गोला का मंदिर
ग्वालियर

EMD Form Envelop-A

लिफाफा A

एक वर्ष हेतु शक्कर परिवहन
ई-निविदा

निविदाकार का नाम

अमानत राशि

ड्राफ्ट संख्या

बैंक का नाम

दिनांक



**AFTER ONLINE SUBMISSION OF THIS FORM, PHYSICALLY SUBMIT THIS FORM IN
SEALED ENVELOP MARKED "ENVELOP-A" ALONGWITH EMD INSTRUMENT**

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
गोला का मंदिर
ग्वालियर
तकनीकी प्रपत्र

Technical Bid Envelop-B
बानमोर संयंत्र तक शक्कर परिवहन
ई-निविदा

1. निविदाकार का नाम	:	
2. निविदाकार का पता	:	
अ. पंजीकृत कार्यालय	:	
ब. पता	:	
स. फ़ैक्स नम्बर	:	
द. दूरभाष कमांक	:	
3. अधिकृत व्यक्ति का नाम	:	
4. पैन नम्बर	:	
5. सविस टैक्स नम्बर	:	

**AFTER ONLINE SUBMISSION OF THIS FORM, PHYSICALLY SUBMIT
THIS FORM IN SEALED ENVELOP MARKED "ENVELOP-B"
ALONGWITH COPY OF DOCUMENTS BEFORE OPENING OF BID**

**ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
गोला का मंदिर
ग्वालियर**

दर प्रपत्र
Price Bid Envelop-C
बानमोर संयंत्र तक शक्कर परिवहन
ई-निविदा

क्र.	स्थान	दर (रूपये प्रति मैट्रिक टन)	
		अंकों में	शब्दों में

1.	मेसर्स नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर बुरहानपुर (म0प्र0) से बानमोर संयंत्र तक शक्कर परिवहन		
2.	कृषक सहकारी ' शक्कर कारखाना मर्यादित, नारायणपुरा (राघौगढ) जिला-गुना (म0प्र0) से बानमोर संयंत्र तक शक्कर परिवहन		